न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 18 / 2016, जी.सी.एम.एस. नं. 2018 / 00242

1. रामजीलाल } पिसरान कुन्दन
2. रंगी }
3. चरन पुत्र प्रभू
4. शिवचरण }
5. शेरसिंह } पिसरान रामसहाय
6. पुखराज }
7. रमेश }
8. शिवसिंह पुत्र रंगी
9. गज्जू } पिसरान चरन
10. नरेश }
11. बनैसिंह }
12. बनवारी } पिसरान रामजीलाल
13. सुमेरसिंह }
14. लखमी पुत्र शिवचरण
15. महेन्द्र सिंह पुत्र रमेश
16. बिरदबाई पत्नि शिवचरण
17. रमेशी पत्नि पुखराज

समस्त जातियान मीना, निवासीयान टोडूपुरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला, करौली राज0।

अपी0

22.12.21
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बनाम

1. हरकेश }
2. किशन सिंह } पिसरान मांगी
3. धर्मसिंह }
4. धर्मी }
5. शीतमसिंह }

समस्त जातियान मीना, निवासीयान टोडूपुरा, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली, राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली सवाई माधोपुर मु0न0 01/16 निर्णय दिनांक 25.02.2016)

उपस्थित अभिभषाक

1. अपीलांट की ओर से श्री अशोक नीमनका
2. रेस्पो0 की ओर से श्री देवीसिंह गुर्जर

निर्णय दिनांक 29.12.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 01/2016 निर्णय दिनांक 25.02.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पों. की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट एवं ऑर्डर 40 रूल 1 जा.दीवानी रिसीवर नियुक्त किये जाने बाबत् इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं. 620 रकबा 0.32 ऐयर, ख.नं. 621 रकबा 0.27 ऐयर, ख.नं. 622 रकबा 0.27 ऐयर, ख.नं. 623 रकबा 0.30 ऐयर, ख.नं. 624 रकबा 0.22 ऐयर, ख.नं. 625 रकबा 0.20 ऐयर, ख.नं. 626 रकबा 0.23 ऐयर, ख.नं. 627 रकबा 0.04 ऐयर, गै.मु. चाह, ख.नं. 629 रकबा 0.26 ऐयर कुल किता 9 कुल रकबा 2.11 हैक्टर वसमूल अन्य भूमि ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसके सायलान/रेस्पों. रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो भूमि सायलान/रेस्पों. के नाम समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। जिस भूमि को सायलान/रेस्पों. मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे गैरसायलान/अपी0 का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बंध नहीं है। उक्त विवादित आराजी सायलान/रेस्पों. की पैतृक भूमि है जो उन्हें उनके बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुयी है। उक्त विवादित आराजी सायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 05 के बाबा व सायलान/रेस्पों. सं. 6 के ससुर मूल्या पुत्र श्योचन्द मीना के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी जिनके पुराना खसरा नम्बरान 377/1 रकबा 14 बीघा बारानी 2, ख.नं. 383 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा भूमि सेटलमेंट से [illegible] बनाये थे। जमीनों का कुछ रकबा हिण्डौन करौली [illegible] के स्थान पर सायलान/रेस्पों. की खातेदारी व कब्जे [illegible] गयी जिसके पुराने खसरा नं. 377 रकबा 13 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 377/506 रकबा 04 विस्वा, ख. नं. 383 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा से तरमीम कर मौके पर बन्दोबस्त विभाग ने नवीन खसरा नम्बरान तरमीम किये है। उक्त नवीन खसरा नम्बरान के अतिरिक्त सायलान/रेस्पों. के कब्जे काश्त व खातेदारी में नवीन खसरा नम्बरान 628 रकबा 0.40

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ऐयर, ख.नं. 632 रकबा 0.24 ऐयर, ख.नं. 650 रकबा 0.45 ऐयर, ख.नं. 651 रकबा 0.72 ऐयर भूमियां है जिनके सायलान/रेस्पों. ही रिकॉर्डेड खातेदार है। इन तीन नवीन खसरा नम्बरान का कोई विवाद नहीं है जिनकों सायलान/रेस्पों. मौके पर शान्ति पूर्वक काश्त कर रहे है। सायलान/रेस्पों. के बुजुर्गान श्योचन्द पुत्र माधो को विवादित भूमि धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत जरिये नामान्तकरण सं. 74 दिनांक 05.06.60 को खातेदारी में दर्ज हुयी थी। पूर्व में विवादित भूमि उबड खाबड थी जिनको सायलान/रेस्पों. के पूर्वज श्योचन्द ने कठिन परिश्रम करके उपजाऊ बनाया था और श्योचन्द पुत्र माधो के स्वर्गवास होने के बाद विरासत में उसके एक मात्र लडका मूल्या के नाम विरासत में जरिये नामान्तकरण सं. 90 दिनांक 14.06.63 के द्वारा समस्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो गया। सायलान/रेस्पों. सं. 1 ल0 5 के बाबा मूल्या के जीवनकाल में ही सायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 5 के पिता मांगी का स्वर्गवास दिनांक 26.01.1988 हो गया तथा विवादित भूमि के खातेदारी सायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 5 के बाबा मूल्या के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती रही। सायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 5 के बाबा मूल्या का स्वर्गवास दिनांक 05.09.1994 को होने से सायलान/रेस्पों. के नाम विरासत के समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में खातेदारी दर्ज हो चुकी है। सायलान/रेस्पों. उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का मौके पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है जिससे गैरसायलान/अपी0 का कोई सम्बंध नहीं है। गैरसायलान/अपी0 लट्ठ वाले व पैसे वाले बाहूबली व्यक्ति है जो लट्ठ के बल पर सायलान/रेस्पों. की कीमती भूमि को जबरन हडपना चाहते है। सायलान/रेस्पों. दिनांक 02.04.2015 को अपनी रिश्तेदारीयों में शादी विवाहों चले गये तो गैरसायलान/अपी0 ने सायलान/रेस्पों. के पीछे से उनकी खातेदारी की भूमि ख.नं 620 में पश्चिम दिशा में हिण्डौन करौली मेगा हाईवे की सडक सीमा में खेत का फ्रन्ट रोकने के लिए दो दुकान बना ली तथा ख.नं. 622 की पश्चिम दिशा में हिण्डौन करौली मेगा हाईवे की सडक सीमा में एक पुख्ता मकान बना लिया तथा पानी का एक कुंड भी बना लिया। इस प्रकार गैरसायलान/अपी0 के दिल में बदयान्ति आ गयी जो सायलान/रेस्पों. के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा कर सायलान/रेस्पों. को बेदखल करना चाहते है तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करना चाहते है। ऐसा होने से सायलान/रेस्पों. के हकूकों को भारी कुठाराघात हो जावेंगा और सायलान/रेस्पों. बर्बाद हो जावेंगे जिससे सायलान/रेस्पों. को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। गैरसायलान/अपी0 को दिनांक 02.06.2015 को अस्थाई स्टे से आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.07.2015 तक पाबंद कर तामील हेतु नोटिस जारी किये थे जो गैरसायलान/अपी0 को दिनांक 11.06.2015 को प्राप्त हो गये थे। गैरसायलान/अपी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की तामील होने के उपरान्त हाजिर अदालत नहीं हुये और दिनांक 20.07.2015 को अधिनस्थ न्यायालय ने गैरसायलान/अपी0 को फाईनली स्थगन आदेश से पाबंद कर सायलान/रेस्पों. के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत न करने रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने के आदेश जारी कर दिया। इसके उपरान्त भी गैरसायलान/अपी0 अपनी वेजा हरकत करने से वाज नहीं आये और दिनांक 15.06.2015 को घातक हथियार लेकर विवादित भूमि पर आ गये और सायलान/रेस्पों. के हाथ पैर बांध दिये तथा सायलान/रेस्पों. से छीना छपटी करने लगे। इस घटना की एफआईआर सायलान/रेस्पों. द्वारा सदर थाना हिण्डौन में दर्ज करायी गयी। गैरसायलान/अपी0 द्वारा फर्जी लिखापढी कर सायलान/रेस्पों. की भूमि को धोखाधडी से हडपना चाहते है जिसका मुकदमा नं. 374/2015 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.द.स. में दर्ज करवा दिया है, जो जेर तहकीकात है। दिनांक 16.07.2015 को सायलान/रेस्पों. विवादित भूमि में खडी फसल में खाद दे रहे थे तो गैरसायलान/अपी0 हाथों में लाठी डन्डा लेकर सायलान के खेतों में घुसकर चारों तरफ से घेर लिया और सायलान/रेस्पों. को ऐलानिया धमकी देने लगे कि अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम इन खेतो पर आना जाना बन्द कर दो। ऐसी सूरत में सायलान/रेस्पों. की उक्त विवादित आराजीयात को शान्ति पूर्वक काश्त करना संभव नहीं है इसलिए उक्त विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र नियुक्ति रिसीवर स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार, हिण्डौन सिटी को रिसीवर नियुक्त किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन सिटी को आदेश दिया जावें कि उक्त विवादित आराजी को मौके पर जाकर कब्जे राज में लिया जावे तथा उक्त आराजीयात में अपने निर्देशन में काश्त करने की समुचित व्यवस्था करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/रेस्पों. का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपी0/गैरसायलान के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/गैरसायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2[illegible] पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पों. द्वारा एक वाद बाबत् बेदखली खिलाफ अपी0 न्यायालय उपजिला कलेक्टर हिण्डौन में दायर किया है जिसमें कब्जा काश्त अपी0 का माना गया है। जिससे बेचान की पुष्टि हो रही है। खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गिरदावरी सम्बत् 2019–2020 में कब्जा काश्त बुजुर्ग अपी0 का होना साबित कर रहा है। दावा बाबत् तकमील मुहायदा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त सभी दस्तावेज अपी0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2015 से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर अपी0 कब्जा करीब 50–60 साल पुराना है। उक्त तथ्य को सरपंच ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा सत्यापित किया गया है। उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आराजीयात पर रिसीवर कायम कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिये आदेश अधिनस्थ न्यायालय अपास्त होने योग्य है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2015 को सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आराजीयात के रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनायें रखने के आदेश पारित किये थे और वह आदेश आज भी प्रभावी है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज करते हुये रिसीवर कायम करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। आराजीयात विवादग्रस्त के बाबत वाद बाबत तकमील मुहायदा सक्षम अदालत सी.जे.एम. हिण्डौन के यहां विचाराधीन है जहां से पक्षकारान के राईट्स डिसाईड होने है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के मूलभूत सिंद्वातों की अवहेलना करते हुये आदेश पारित फरमाया है जो अपास्त होने योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्धान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिसके उक्त विवादित आराजीयात के रेस्पों. रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो भूमि रेस्पों. के नाम समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। जिस भूमि को रेस्पों. मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे अपी0 का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बंध नहीं है। उक्त विवादित आराजी रेस्पों. की पैतृक भूमि है जो उन्हें उनके बुजुर्गान से विरासत में प्राप्त हुयी है। उक्त विवादित आराजी रेस्पों. सं. 01 ल0 05 के बाबा व रेस्पों. सं. 6 के ससुर मूल्या पुत्र श्योचन्द मीना के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी जिनके पुराना खसरा नम्बरान 377/1 रकबा 14 बीघा बारानी 2, ख.नं. 383 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा भूमि सेटलमेंट से पूर्व तरमीम कर बनाये थे। जमीनों का कुछ रकबा हिण्डौन करौली रोड में चले जाने पर 17 बीघा के स्थान पर रेस्पों. की खातेदारी [illegible] काश्त में 3.93 हैक्टर भूमि रह गयी जिसके पुराने खसरा नं. 377 रकबा 13 बीघा [illegible] विस्वा, ख.नं. 377/506 रकबा 04 विस्वा, ख.नं. 383 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा से तरमीम कर मौके पर बन्दोवस्त विभाग ने नवीन खसरा नम्बरान तरमीम किये है। उक्त नवीन खसरा नम्बरान के अतिरिक्त रेस्पों. के कब्जे काश्त व खातेदारी में नवीन खसरा नम्बरान 628 रकबा 0.40 ऐयर, ख.नं. 632 रकबा 0.24 ऐयर, ख.नं. 650 रकबा 0.45 ऐयर, ख.नं. 651 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

0.72 ऐयर भूमियां है जिनके रेस्पों. ही रिकॉर्डेड खातेदार है। इन तीन नवीन खसरा नम्बरान का कोई विवाद नहीं है जिनकों रेस्पों. मौके पर शान्ति पूर्वक काश्त कर रहे है। रेस्पों. के बुजुर्गान श्योचन्द पुत्र माधो को विवादित भूमि धारा 15 आर.टी.एक्ट के तहत जरिये नामान्तकरण सं. 74 दिनांक 05.06.60 को खातेदारी में दर्ज हुयी थी। पूर्व में विवादित भूमि उबड खाबड थी जिनको रेस्पों. के पूर्वज श्योचन्द ने कठिन परिश्रम करके उपजाऊ बनाया था और श्योचन्द पुत्र माधो के स्वर्गवास होने के बाद विरासत में उसके एक मात्र लडका मूल्या के नाम विरासत में जरिये नामान्तकरण सं. 90 दिनांक 14.06.63 के द्वारा समस्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो गया। रेस्पों. सं. 1 ल0 5 के बाबा मूल्या के जीवनकाल में ही रेस्पों. सं. 01 ल0 5 के पिता मांगी का स्वर्गवास दिनांक 26.01.1988 हो गया तथा विवादित भूमि के खातेदारी रेस्पों. सं. 01 ल0 5 के बाबा मूल्या के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती रही। रेस्पों. सं. 01 ल0 5 के बाबा मूल्या का स्वर्गवास दिनांक 05.09.1994 को होने से रेस्पों. के नाम विरासत के समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में खातेदारी दर्ज हो चुकी है। रेस्पों. उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का मौके पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है जिससे अपी0 का कोई सम्बंध नहीं है। अपी0 लट्ठ वाले व पैसे वाले बाहूबली व्यक्ति है जो लट्ठ के बल पर रेस्पों. की कीमती भूमि को जबरन हडपना चाहते है। रेस्पों. दिनांक 02.04.2015 को अपनी रिश्तेदारीयों में शादी विवाहों में चले गये तो अपी0 ने रेस्पों. के पीछे से उनकी खातेदारी की भूमि ख.नं. 620 में पश्चिम दिशा में हिण्डौन करौली मेगा हाईवे की सडक सीमा में खेत का फ्रन्ट रोकने के लिए दो दुकान बना ली तथा ख.नं. 622 की पश्चिम दिशा में हिण्डौन करौली मेगा हाईवे की सडक सीमा में एक पुख्ता मकान बना लिया तथा पानी का एक कुंड भी बना लिया। इस प्रकार अपी0 के मन में बदयान्ति आ गयी जो रेस्पों. के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा कर रेस्पों. को बेदखल करना चाहते है तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करना चाहते है जिससे रेस्पों. के हकूकों को भारी कुठाराघात हो जावेंगा और रेस्पों. बर्बाद हो जावेंगें जिससे रेस्पों. को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अपी0 को दिनांक 02.06.2015 को एड–इन्टरिम स्टे से आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.07.2015 तक पाबंद कर तामील हेतु नोटिस जारी किये थे जो अपी0 को दि[illegible] 11.[illegible]2015 को प्राप्त हो गये थे। अपी0 की तामील होने के उपरान्त हाजिर अदालत [illegible] हुये और दिनांक 20.07.2015 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 को [illegible] आदेश से पाबंद कर रेस्पों. के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत न करने रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने के आदेश जारी कर दिया। इसके उपरान्त भी अपी0 अपनी बेजा हरकत करने से वाज नहीं आये और दिनांक 15.06.2015 को घातक हथियार लेकर विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भूमि पर आ गये और रेस्पों. के हाथ पैर बांध दिये तथा रेस्पों. से छीना छपटी करने लगे। इस घटना की एफआईआर रेस्पों. द्वारा सदर थाना हिण्डौन में दर्ज करायी गयी। अपी0 द्वारा फर्जी लिखापढी कर रेस्पों. की भूमि को धोखाधडी से हडपना चाहते है जिसका मुकदमा नं. 374/2015 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.द.स. में दर्ज करवा दिया है जो जेर तहकीकात है। दिनांक 16.07.2015 को रेस्पों. विवादित भूमि में खडी फसल में खाद दे रहे थे तो अपी0 हाथों में लाठी डन्डा लेकर रेस्पों. के खेतों में घुसकर चारों तरफ से घेर लिया और रेस्पों. को ऐलानिया धमकी देने लगे कि अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम इन खेतो पर आना जाना बन्द कर दो। ऐसी सूरत में रेस्पों. की उक्त विवादित आराजीयात को शान्ति पूर्वक काश्त करना संभव नहीं है इसलिए उक्त विवादित आराजीयात पर रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक हुआ। अपी0 ने रेस्पों. को बेजा तंग करने के गलत इरादे से यह अपील पेश कि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्बत् 2068–71 वाके ग्राम मनेका के खतौनी सं. 209 के अनुसार विवादित आराजी हरकेश, किशनसिंह, धर्मसिंह, धर्मी पि0 मांगी सम्पत्ति बेवा मांगी हि0 5/6 सीतम सिंह पुत्र मांगी हि0 1/6 जाति मीना निवासी टोडूपुरा अंकित है। पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण भूमि को रक्षित करना आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरान्त पारित किया गया है, जिसमें विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 01/2016 निर्णय दिनांक 25.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

29.12.21

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner